भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2196
15 दिसंबर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य कवरेज

2196. श्री रितेश पाण्डेय:
श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मानसिक रोग के संबंध में अस्पताल में भर्ती कराने हेतु सरकार को दावे प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2022 और 2023 के दौरान मानसिक रोग के दावों पर व्यय की गई कुल राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 2022-23 के दौरान प्र.म. जन आरोग्य योजना के तहत ऐसे लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या क्या है जिन्होंने मानसिक रोग के तहत इस योजना का लाभ प्राप्त किया है;

(घ) पी.एम.-जे.ए.वाई. के तहत मानसिक रोग के लिए अस्पतालों में भर्ती की अवधि के संबंध में सरकार के पास ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा 2022 और 2023 के दौरान ऐसे रोगियों की अस्पताल में भर्ती के औसत दिन कितने रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) से (ङ): आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत मानसिक विकार, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी और सामान्य चिकित्सा आदि सहित 27 विभिन्न विशेषज्ञताओं में कुल 1949 चिकित्सा प्रक्रियाओं के अनुरूप उपचार प्रदान किया जाता है। इनमें से 22 प्रक्रियाएं मानसिक विकारों से संबंधित हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक की अवधि में मानसिक विकारों से संबंधित उपचार के लिए इस स्कीम के तहत 120.19 करोड़ रु. मूल्य की कुल 1.35 लाख अस्पताल-भर्तियां प्राधिकृत की गई हैं। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक की अवधि में एबी-पीएमजेएवाई के तहत मानसिक विकारों के उपचार के लिए हुई अस्पताल-भर्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है। वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 में मानसिक विकारों के उपचार के लिए अस्पतालों में भर्ती की औसत अवधि (दिनों में) क्रमश: 13,12 और 11 दिन रही।

*****

अनुलग्नक

<u>वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक की अवधि में एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत मानसिक विकारों के उपचार हेतु प्राधिकृत अस्पताल-भर्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा</u>

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24	
	संख्या	राशि (रुपए में)	संख्या	राशि (रुपए में)	संख्या	राशि (रुपए में)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5	55,500	5	33,000	3	31,500
आंध्र प्रदेश	172	48,31,370	2,051	4,69,47,980	4,036	7,42,18,733
अरुणाचल प्रदेश			10	1,00,500	2	18,000
असम	146	15,14,920	347	44,17,105	1,080	1,20,94,020
बिहार	78	15,92,855	121	12,64,665	98	10,14,765
चंडीगढ़	11	2,55,600	19	2,82,950	30	4,95,000
छत्तीसगढ़	1,212	1,44,19,250	1,949	2,46,47,720	1,436	1,91,28,885
दादरा और नगर हवेली	19	1,26,000	43	2,86,000	21	82,500
दमन और दीव	-	-	3	6,000	-	-
गोवा	-	-	-	-	-	-
गुजरात	190	26,75,000	486	59,44,000	729	99,94,620
हरियाणा	116	12,28,550	240	27,93,950	375	33,18,410
हिमाचल प्रदेश	132	6,33,600	138	9,72,330	122	12,89,300
जम्मू और कश्मीर	784	1,48,01,215	1,938	3,85,34,865	1,316	2,70,03,700
झारखंड	10	1,13,850	7	82,750	8	3,45,620
कर्नाटक	3,838	9,14,51,995	8,127	15,45,57,966	7550	15,38,20,066
केरल	1,518	2,84,86,690	2,754	5,35,00,125	1,406	2,71,56,575
लद्दाख	-	-	13	3,26,200	13	4,33,700
लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	1,413	1,57,22,825	2,512	2,27,55,820	1,710	1,74,65,630
महाराष्ट्र	242	17,53,426	508	36,17,780	460	32,17,699
मणिपुर	11	2,22,750	34	6,22,787	49	9,83,136
मेघालय	34	10,30,901	64	28,46,100	159	39,15,400
मिजोरम	19	2,34,600	56	7,29,675	72	8,34,300
नागालैंड	7	1,27,050	27	2,87,760	92	13,26,930
पुदुच्चेरी	6	54,000	74	10,37,600	54	8,43,280
पंजाब	340	24,78,480	378	16,83,850	247	18,33,785
राजस्थान	8,151	1,13,42,580	20,719	3,82,56,540	24,466	4,64,71,500
सिक्किम	1	9,000	8	59,400	1	2,100
तमिलनाडु	6273	37052350	10603	6,14,02,800	8227	45828100
तेलंगाना	5	44,000	488	73,89,315	1071	1,25,53,766
त्रिपुरा	29	4,15,965	119	40,59,225	370	1,24,87,395
उत्तर प्रदेश	163	17,74,000	231	20,46,300	268	23,24,990
उत्तराखंड	134	19,28,850	272	20,77,660	213	15,00,397
कुल	25,059	23,63,77,172	54,344	48,35,70,718	55,684	48,20,33,802

*****